प्रेस विज्ञप्ति
11.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मंगलुरु ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के अंतर्गत 07.08.2026 को बेलगावी, चिक्कोडी एवं निपाणी में स्थित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया, जो एम/एस शिवम एसोसिएट्स, शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं से जुड़े हुए हैं।

ईडी ने यह जांच बर्निंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, 2019 तथा कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 2004 के अंतर्गत बेलगावी शहर के मालामारुति पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आम जनता को असामान्य रूप से अधिक एवं सुनिश्चित प्रतिफल का आश्वासन देकर धनराशि निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया।

पीएमएलए के तहत की गई जांच से संकेत मिलता है कि एम/एस शिवम एसोसिएट्स तथा उससे संबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं ने बड़ी संख्या में निवेशकों से प्राप्त पर्याप्त धनराशि जुटाई। बैंकों तथा अन्य अभिलेखों से प्राप्त सूचना के प्रारंभिक विश्लेषण से व्यावसायिक, व्यक्तिगत एवं मध्यस्थ खातों के माध्यम से धनराशि का व्यापक अंतरण सामने आया है, जिसमें स्टॉक ब्रोकरों, सावधि जमा खातों, संबंधित व्यक्तियों तथा अन्य लाभार्थियों को किए गए अंतरण भी शामिल हैं।

जांच में एम/एस शिवम एसोसिएट्स, शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर, सुभाष रामगौड़ा नंदर्गी, महेश एस. नीलन्नावर शिवम प्रोडक्शंस, शिवम लाइफलाइन प्रा. लि., शिवम सेवा (ओपीसी) प्रा. लि. तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के बीच वित्तीय संबंध भी सामने आए हैं। इन व्यक्तियों एवं संस्थाओं के बैंक खातों तथा वित्तीय अभिलेखों के विश्लेषण से धनराशि के व्यापक एवं परस्पर जुड़े हुए अंतरण का पता चला है। जांच में आगे यह भी सामने आया कि शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर ने निवेश/जमा राशि पर प्रतिमाह 3% प्रतिफल देने का वादा कर आम जनता को निवेश के लिए प्रलोभित किया और आम जनता से लगभग **2,110.97 करोड़ रुपये** एकत्र किए, जिसके विरुद्ध तलाशी कार्रवाई के दौरान लगभग **333.89 करोड़ रुपये** की अदायगी की पुष्टि हुई है। तदनुसार, इस प्रक्रिया के माध्यम से सृजित अपराध से अर्जित आय में से लगभग **1,777.08 करोड़ रुपये** की राशि का अभी पता लगाया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त, यह भी पता चला है कि निवेश करने के लिए आम जनता को प्रलोभित करने हेतु नियुक्त लीडरों (कमीशन एजेंटों) को 0.5% कमीशन का भुगतान किया गया था।

तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने अपराध से अर्जित आय के सृजन, अंतरण, लेयरिंग एवं पार्किंग को दर्शाने वाले विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज एवं डिजिटल साक्ष्य बरामद कर जब्त किए। तलाशी के दौरान मौद्रिक लेन-देन, धनराशि के डायवर्जन एवं पार्किंग, अचल संपत्तियों में निवेश तथा आरोपियों से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं के साथ लेन-देन से संबंधित आपत्तिजनक अभिलेख भी बरामद कर जब्त किए गए। तलाशी के दौरान बरामद सामग्री एवं डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है।

मामले में आगे की जांच जारी है।